# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

## पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

## प्रकरण सं. 62/2024

## वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रामकुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

**- वादी**

**बनाम्**

1. दानाराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मदनलाल पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. राजकुमार पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. संदीप पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुभाष पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुनीता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जीतराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

**- प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :- 2[illegible]

वादी रामकुमार ने प्रतिवादीगण दानाराम वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादी के भाई, प्रतिवादी सं. 3 ता 6 वादी के भतीजे तथा प्रतिवादीया सं. 7 व 8 वादी के भतीजों की पत्नीयां है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के

लगातार --2

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। क्योकि प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि इसी चक के अन्य खाता में प्राप्त कर ली है इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैंः-

(क) **वादी रामकुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.177 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी [illegible] काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो [illegible] 1 ता 8 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई [illegible] हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति के जवाब दावे पेश किये गये जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति के जवाब दावे पेश किये गये जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति के जवाब दावे पेश किये गये होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 9 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

## -:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.177 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार --4

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22 IST
Reason: SelfAttested

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 62/2024

---

रामकुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. दानाराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मदनलाल पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. राजकुमार पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. संदीप पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुभाष पुत्र श्री जीतराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सुमन पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. सुनीता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार पुत्र श्री जीतराम जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 22.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी [illegible] मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश [illegible] हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी को तहसील संगरिया के चक [illegible] एन.जी. के विवादित खाता सं. 47/44 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 0.177 हे. [illegible] भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22 IST
Reason: SelfAttested

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X.....निल .....X..... बाबत् .....X..... निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 22.3.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:22 IST
Reason: SelfAttested